

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
महोबा।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,

उ०प्र०, शिविर कार्यालय लखनऊ।

संख्या : 135/सी०आर०सी०/द्वि०मू०सू०/2012

दिनांक : ५.७.2012

विषय : जनपद महोबा के स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत तीनों उप निबन्धक कार्यालयों से प्राप्त द्विवार्षिक मूल्यांकन प्रस्तावों को दिनांक 10.07.2012 से प्रभावी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 50(1-5)/टी०ए०सी०-102/शि०का०लख०/2012 दिनांक 11.04.2012 के द्वारा मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 30.06.2012 तक प्रभावी किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुक्रम में जनपद महोबा की भूमि का द्विवार्षिक पुनरीक्षित मूल्यांकन कराकर दरें निर्धारित कर ली गयी है तथा जिसे दिनांक 10.07.2012 से जनपद महोबा में प्रभावी कर दिया गया है।

कृपया अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

(डा० काजल)

जिलाधिकारी,

महोबा।

प्रतिलिपि : संलग्नक सहित निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. सचिव संस्थागत वित्त उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. अपर सचिव एवं स्टाम्प आयुक्त राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।
4. आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बौदा।
5. उप आयुक्त स्टाम्प चित्रकूटधाम मण्डल बौदा।
6. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)महोबा/सहायक आयुक्त स्टाम्प महोबा।
7. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/उप निबन्धक जनपद महोबा को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रभावी दिनांक से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. रीडर न्यायालय जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट महोबा/स्टाम्प लिपिक/मुख्य निबन्धन लिपिक कलेक्ट्रेट महोबा।

जिलाधिकारी,

महोबा।

कार्यालय उपनिबन्धक चरस्वासी (भरत)

द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची  
वर्ष 2012

प्रारम्भ दिनांक- 10-3-2012

(2)

30प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत तहसील चटखाटी के अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों की द्विवार्षिक निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन ददें

दिनांक 10-7-2012 से प्रभावी, अन्व. अ. 26

जनपद महोबा की तहसील चटखाटी में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रवार (श्रेणीवार) वर्गीकरण  
(क) नगरीय क्षेत्र

1- नगर पालिका परिषद चटखाटी

इसके अन्तर्गत नगर पालिका चरखारी में सम्मिलित मुहल्ले एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम आंशिक रूप से शामिल हैं-

- 1- मलखानपुर
- 2- महाराजनगर
- 3- रूपनगर
- 4- सुहरयांव
- 5- रायनपुर

2- नगर पंचायत खरेला

इसके अन्तर्गत नगर पंचायत खरेला में सम्मिलित मुहल्ले एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम आंशिक रूप से शामिल हैं-

- 1- अस्थान
- 2- घुटवई
- 3- जार्डिनगंज
- 4- बम्हौरी बेलदागन
- 5- मझौल
- 6- पिटलौनागंज
- 7- अकठौहा
- 8- उदयपुरा
- 9- बैरीखेड़ा
- 10- इमलीखेड़ा
- 11- इटवा
- 12- सोहजना
- 13- फतेहपुर
- 14- कुरौसाडाग
- 15- दयालपुरा

(ख) अर्ध नगरीय क्षेत्र  
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम शामिल हैं-

  
उप जिलाधिकारी  
चटखाटी

सहायक महाा.रीक्षक जिलारुएक  
महोबा

नगर जिलाधिकारी  
चित्त/राजस्व  
महोबा

जिलाधिकारी  
महोबा

(3)

(ग) ग्रामीण क्षेत्र

इसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों को छोड़कर तहसील चरखारी के शेष ग्राम शामिल है जो निम्नवत है-

- श्रेणी (क)  
1- बसौठ, 2- सूपा 3- गुडा 4- गौरहरी 5- रिवाई 6- सुदामापुरी

- श्रेणी (ख)  
1- काकुन 2- पुनियाँ 3- बगरौन 4- बमराण 5- सबुआ

- श्रेणी (ग)  
1- बमनेथा 2- कनेरा 3- ककरा 4- कुहरई 5- पहरथा 6- ऐयाना

श्रेणी (घ)

1	अतरौली (चरखारी)	11	जरौली (चरखारी)	21	बंराण (चरखारी)	31	सलुआ (चरखारी)
2	अनघौरा (चरखारी)	12	जसवारी (चरखारी)	22	बल्लारं (चरखारी)	32	सन्तोषपुरा (चरखारी)
3	इमिलिया डांग (चरखारी)	13	टोला चाहरूम (चरखारी)	23	बचलौर (चरखारी)	33	सालट (चरखारी)
4	उजनेडी (चरखारी)	14	टोला सोयम (चरखारी)	24	बुजपुर (चरखारी)	34	सिंघाई (चरखारी)
5	कुडार (चरखारी)	15	दमदमा (चरखारी)	25	बिहारी (चरखारी)	35	गोरखा (चरखारी)
6	कुरौरा बाजपेथी (चरखारी)	16	धनावन (चरखारी)	26	बारी (चरखारी)	36	भटवरकला (चरखारी)
7	कुटिया (चरखारी)	17	धवारी (चरखारी)	27	बीजलपुरा (चरखारी)	37	कमलेखड़ा (चरखारी)
8	कुरसमा (चरखारी)	18	धूमगिरि (चरखारी)	28	मरकुई (चरखारी)	38	करहराखुई (चरखारी)
9	कुआ (चरखारी)	19	नटरा (चरखारी)	29	महाराजपुरा (चरखारी)	39	जतौरा (चरखारी)
10	कनेरी (चरखारी)	20	नरेडी (चरखारी)	30	रगौल (चरखारी)	40	जरौला (चरखारी)

उप सिक्रिआधिकारी

अपर सिक्रिआधिकारी

सहायक प्रशासकीय अधिकारी

निल/असुर

✓

(4)

41	कहारी (चरखारी)	51	नौसारा (चरखारी)	61	वफरेशा (चरखारी)	71	लतौरा (चरखारी)
42	कीरतपुरा (चरखारी)	52	बरेण्डा (चरखारी)	62	बम्हारीखुर्द (चरखारी)	72	लोहपुरी (चरखारी)
43	गडहरी (चरखारी)	53	बरकछा (चरखारी)	63	बम्हारीकला (चरखारी)	73	तुहारी (चरखारी)
44	गरौठा (चरखारी)	54	बरदा (चरखारी)	64	बम्हारीरिया (चरखारी)	74	खिरिया (चरखारी)
45	गुल मऊ (चरखारी)	55	पड़ौरा (चरखारी)	65	रजौरा (चरखारी)	75	तिसौनी (चरखारी)
46	गोपालपुरा (चरखारी)	56	पुछी (चरखारी)	66	शिवहार (चरखारी)	76	निबवारी (चरखारी)
47	चरखारिया (चरखारी)	57	पुणवारा (चरखारी)	67	सिजौरा (चरखारी)	77	रिहुनिया (चरखारी)
48	चन्दौली (चरखारी)	58	प्रतिष्ठा (चरखारी)	68	स्वाधामाफ (चरखारी)	78	लिथौरा सोयम (चरखारी)
49	छेदीमऊ (चरखारी)	59	पंचमपुरा (चरखारी)	69	रमपुरा कदीम (चरखारी)		
50	छानीखुर्द (चरखारी)	60	पाटा (चरखारी)	70	रोशनपुरा (चरखारी)		

Wam

उप जिलाधिकारी  
चरखारी

सहायक महाजरीक्षक जिल्लाधिकारी  
महोबा

उप जिलाधिकारी  
निवा/राजस  
महोबा

जिलाधिकारी  
महोबा


(5)

भाग-2

1- नगरीय क्षेत्र में शामिल कृषि भूमि की निर्धारित दरें

क- नगर पालिका परिषद परिषद चरखारी की सीमान्तगत शामिल वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग, पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/सी0सी0/अन्य) पर स्थित है उसकी निर्धारित दरें-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चक मार्ग/अन्य	
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी0 तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी0 के बाद स्थित
0.101 हे0 तक	50000000.00 प्रति हे0	40000000.00 प्रति हे0	35000000.00 प्रति हे0	32000000.00 प्रति हे0	30000000.00 प्रति हे0
0.101 हे0 से अधिक की स्थिति में	25000000.00 प्रति हे0	22000000.00 प्रति हे0	20000000.00 प्रति हे0	18000000.00 प्रति हे0	15000000.00 प्रति हे0

  
जिलाधिकारी  
दरभंगा

सहायक महाकृषि अधिकारी  
दरभंगा

नगर जिलाधिकारी  
दरभंगा

विन/राजस्व  
दरभंगा

विन/राजस्व  
दरभंगा

6

सिग्मेंट प्रथम

(ख) तहसील चटखारी के विशिष्ट सिग्मेंट्स/सड़क पर स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के निर्धारित मासिक किराए की दरें (मध्य सड़क से राष्ट्रीय/प्रान्तीय मार्ग पर 30 मीटर तक, जनपदीय मार्ग पर 25 मीटर तक एवं लिंक मार्ग पर 15 मीटर तक सड़क के दोनों ओर)

क्र.सं०	विशिष्ट सिग्मेंट्स/सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी० में)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी० में)
1	सन्तोष पालीवाल के मकान से बस स्टेशन होते हुए डयोडी दरवाजे तक	5000.00	80.00
2	सन्तोष पालीवाल के मकान से टिलवापुरा पैदल पथ होते हुए टोला तालाब के गेट से कुमार गैस ऐजेंसी तक	3000.00	60.00
3	जय सागर तिराहे से सृण चुंगी होते हुए फार्म वाले बाबा तक	3000.00	55.00
4	सृण चुंगी से महाविद्यालय, पावर हाउस होते हुए पचराहा तक	3500.00	65.00
5	गुना मेडिकल स्टोर से सदर बाजार होते हुए वी० पार्क तक	8000.00	100
6	वी० पार्क से सरकारी अस्पताल होते हुए मण्डी तिराहा तक	7000.00	100.00
7	वी० पार्क से चिन्तेपुरा होते हुए आई०टी०आई० छात्रावास तिराहे तक	4500.00	80.00
8	पचराहे से तहसील होते हुए मण्डी तिराहे तक	5000.00	90.00
9	मण्डी तिराहे से रायनपुर तिराहे होते हुए मुस्कण चुंगी से श्री हरिओम ग्रेनाईट तक	6000.00	90.00
10	टाकीज तिराहे (रायनपुर) से पृथ्वीराज की चक्की होते हुए कारकदेव बाबा के मन्दिर तक	3500.00	70.00
11	शुक्ला मेडिकल स्टोर (बी पार्क) से डाक्टर रसूल के अस्पताल तक	4000.00	70.00

शुक्ला मेडिकल स्टोर (बी पार्क) से डाक्टर रसूल के अस्पताल तक

शुक्ला मेडिकल स्टोर (बी पार्क) से डाक्टर रसूल के अस्पताल तक

शुक्ला मेडिकल स्टोर (बी पार्क) से डाक्टर रसूल के अस्पताल तक

शुक्ला मेडिकल स्टोर (बी पार्क) से डाक्टर रसूल के अस्पताल तक

शुक्ला मेडिकल स्टोर (बी पार्क) से डाक्टर रसूल के अस्पताल तक

(5)

12	डाक्टर रसूल के चौराहे से पचराहे तक	4000.00	60.00
13	गुप्ता मेडिकल स्टोर से गंगा सिंह इण्टर कालेज होते हुए गोलाघाट चौराहा तक	4000.00	60.00
14	गोलाघाट चौराहा से डाक्टर रसूल के चौराहा तक	3500.00	60.00
15	सदर बाजार से गोलाघाट चौराहा तक	4000.00	65.00
16	गोलाघाट से रावबाग होते हुए पचराहा तक	4000.00	60.00
17	पचराहा से अस्थानरोड पर मिशन स्कूल होते हुए अस्थान पुलिया तक	4000.00	70.00
18	पावरहाउस से आमबाग होते हुए गंगा सिंह इण्टर कालेज के पास तक	3000.00	70.00
19	पीलीकोठी स्कूल से होते हुए अलवी साहब की कोठी, सोहरयाव से बी०टी०सी० स्कूल तक	3000.00	70.00
20	बी०टी०सी० स्कूल से बमरारा रोड में कस्तूरबा आवसीय विद्यालय तक	2500.00	60.00
21	बी०टी०सी० स्कूल से रूपनगर होते हुए मुस्कारा चुंगी तक	3000.00	60.00
22	बी०टी०सी० स्कूल से रतन सागर तालाब होते हुए टोला तालाब के गेट तक	2500.00	60.00

*M. S. S.*

उप जिलाधिकारी  
बरेली

सहायक महाजरीदारक जिलानथन  
महोबा

उप जिलाधिकारी  
बरेली

महोबा



(ग) नगर पालिका परिषद चरखाटी में सम्मिलित मुहल्लों में स्थित आवासीय भूमि/अकृषक भूमि की दरें नगर पालिका परिषद चरखाटी में सम्मिलित मुहल्लों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक विक्राय की दरें (विशिष्ट सिगमेंट्स/सड़क के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मोहल्ले का नाम	सिगमेंट द्वितीय		वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक विक्राय की दर (प्रति वर्ग मी०)
			सिगमेंट प्रथम के पश्चात 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर	सिगमेंट तृतीय के पश्चात की निर्धारित दर	
0					
1	चिन्तेपुरा	चिन्तेपुरा, भैरोगंज	2000	1500	55
2	छोटारमना	छोटारमना, हटवाग	3500	2500	60
3	रावबाग	रावबाग, मडवागसन	2000	1500	55
4	सदर बाजार	सदरबाजार	6000	5000	80
5	हाथीखाना	हाथीखाना, भैरोगंज	3000	2500	55
6	खर्दिया	खर्दिया	2000	1500	50
7	समनगर	समनगर	2500	1500	55
8	नवादा	नवादा	3500	2000	70
9	रूपनगर	रूपनगर, सोहरयांव आंशिक	1600	1300	45
10	दिलवापुरा	दिलवापुरा,	1600	1300	45
11	नयापुरा	नयापुरा, तुकियाना आंशिक	2500	1600	55
			2000	1500	55
12	भैरोगंज	भैरोगंज, पुरानापावर हाउस,	2000	1500	55
			2000	1500	55
13	धनुषधारी	धनुषधारी, भैसासुर	2000	1500	55
14	सोहरयांव	सोहरयांव,	2500	2000	60
			1600	1300	50

10/11/2011  
अप सिल्लाधिकारी

सहायक गणितज्ञ

नगर पालिका

(9)

15	हटवारा	रूपनगर आंशिक	1600	1300	50
		हटवारा,			
		शेखन फाटक आंशिक	2500	2000	60
16	तुर्कियाना	तुर्कियाना	2500	2000	60
17	वासुदेव	वासुदेव,	2000	1500	50
		छोटा रमना आंशिक	2500	2000	50
18	शेखन फाटक	शेखन फाटक	3500	2500	60
		रायनपुर आंशिक	2500	2000	55
19	जयेन्द्र नगर	जयेन्द्र नगर	2500	2000	55
		चिन्तेपुरा आंशिक	4500	4000	70
20	अमरराज पश्चिमी	अमरराज पश्चिमी	2000	1500	50
21	अमरराज पूर्वी	अमरराज पूर्वी	2500	2000	55
		अमरराज पश्चिमी आंशिक	2000	1500	50
22	छैलबिहारी	छैलबिहारी	2500	2000	55
		खदिथा आंशिक	2000	1500	50
23	घुसियाना	घुसियाना	2000	1500	55
		दिलवापुरा आंशिक	2000	1500	55
		अमरराज पूर्वी आंशिक	2500	1600	55
24	कजियाना	कजियाना	2000	1500	50
25	रायनपुर	रायनपुर	2000	1500	50
		रायनपुर	3000	2500	60

महोदय

उप जिलाधिकारी

बलरसारी

सहायक भारतीयक जिल्लाधर

महोदय

उप जिलाधिकारी

बलरसारी

जिलाधिकारी

महोदय

महोदय


(10)


(घ) नगर पालिका परिषद चरखारी की सीमा से बाहर स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरें-


विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चक मार्ग/अन्य	
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित
0.101 हे० तक	4400000.00 प्रति हे०	3600000.00 प्रति हे०	2500000.00 प्रति हे०	2000000.00 प्रति हे०	150000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	2200000.00 प्रति हे०	1650000.00 प्रति हे०	1500000.00 प्रति हे०	800000.00 प्रति हे०	600000.00 प्रति हे०


(ड) नगर पंचायत खरेला की सीमा के बाहर स्थित विविध सिगमेंट प्रथम/आवासीय भूमि की दरें मुख्य सड़क से 40 मीटर के दोनो ओर

क्र.सं.	विविध सिगमेंट / सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी. में)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी०)
1	विविध पक्की डामर रोड से लगा	2000.00	50.00

  
उप जिलाधिकारी  
चरखारी

  
सहायक महाकिसानिक निबन्धक  
भरोवा

  
उप जिलाधिकारी  
चरखारी

  
उप जिलाधिकारी  
चरखारी

(11)

(व) नगरपालिका परिषद चरखाटी के बाह्र स्थित आकृषिक/आवासीय भूमि की दरें

क्र०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मुहल्लों का नाम	सिमेंट द्वितीय		सिमेंट तृतीय		वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी०)
			सिमेंट प्रथम के पश्चात 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	2000.00	सिमेंट द्वितीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	1500.00	
1	मलखानपुर, महाराजनगर, रूपनगर, सोहरयांव, रायनपुर	मलखानपुर, महाराजनगर, रूपनगर, सोहरयांव, रायनपुर	40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	2000.00	सिमेंट द्वितीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	1500.00	50.00

2- नगरीय क्षेत्र में शामिल कृषि भूमि की निर्धारित दरें

क- नगर पंचायत खेला की सीमान्तगत शामिल वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग, पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/सी०सी०/अन्य) पर स्थित है उसकी निर्धारित दरें-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चक मार्ग/अन्य	
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाहर स्थित
0.101 हे० तक	50000000.00 प्रति हे०	40000000.00 प्रति हे०	35000000.00 प्रति हे०	32000000.00 प्रति हे०	30000000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	25000000.00 प्रति हे०	22000000.00 प्रति हे०	20000000.00 प्रति हे०	18000000.00 प्रति हे०	15000000.00 प्रति हे०

प्रमुख जिलाधिकारी चरखाटी

सहायक महाजिरीक्षक जिल्लाधर


पर जिलाधिकारी चरखाटी

चरखाटी

12

सिग्मेंट प्रथम  
नगर पंचायत खरेला

क्र.सं०	विशिष्ट सिग्मेंटस/सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी० में)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी० में)
1	परुराम की दुकान से जुगत किशोर की दुकान तक	4000.00	
2	महोबा से मुस्करा मार्ग पूछा बस स्टेशन से एयाना रोड तक	4000.00	80.00
3	महेन्द्र नाई की दुकान से राखू गुप्ता की दुकान तक	5000.00	60.00
4	हरीराम की दुकान से रमेश गुप्ता की दुकान तक	4000.00	80.00
5	थाना से बाजार वाली कुलिया तक	3000.00	75.00
6	महेन्द्र नाई की दुकान से बलराम कोटदार की दुकान तक	5000.00	65.00
7	बलराम कोटदार की दुकान से महोबा मुस्करा रोड तक	3500.00	80.00
8	अशोक त्रिपाठी की दुकान से सिंह टेण्ट हाउस तक	5000.00	70.00
9	रमेश गुप्ता की दुकान से बंगाली डाक्टर की दुकान होते हुए कैलाश गुप्ता की दुकान तक	4500.00	80.00
10	इलाहाबाद बैंक से खादी आश्रम व कोआपरेटिव बैंक होते हुए शर्मा चाट भण्डार तक	4000.00	70.00
11	सुनील की दुकान से जगन्नाथ की दुकान तक	4000.00	60.00
12	गहसैली तिगोला से कुशियारी तालाब तक	4000.00	75.00
13	रामप्रकाश की दुकान से रिशुदन मिश्रा की दुकान तक	4000.00	60.00
			65.00

  
जय शिलाधिकारी  
खरखारी

सहायक महाकौशलक्षक निबन्धक  
महोबा

पर जिलाधिकारी  
नित/राजस्व  
जिलाधिकारी  
महोबा

(ग) नगर पंचायत खरेला स्पीमा के अन्तर्गत आवासीय/अकृषक भूमि की दरें नगर पंचायत खरेला में सम्मिलित मुहल्लों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दरें (विशिष्ट सिगमेंट्स/सड़क के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मोहल्ले का नाम	सिगमेंट द्वितीय	सिगमेंट तृतीय	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी०)
			सिगमेंट प्रथम के पश्चात 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर	सिगमेंट द्वितीय के पश्चात की निर्धारित दर	
1	जालिब	जालिब	1800	1500	60
2	रायसिंह	रायसिंह	1500	1200	50
3	मानिक	मानिक	1500	1200	50
4	सादराय प्रथम	सादराय प्रथम	1500	1200	50
5	स्वामीदास द्वितीय	स्वामीदास द्वितीय	2000	1200	50
6	सादराय तृतीय	सादराय तृतीय	1500	1500	60
7	सादराय द्वितीय	सादराय द्वितीय	1500	1200	60
8	स्वामीदास प्रथम	स्वामीदास प्रथम	2000	1200	50
9	डीगुरराय	डीगुरराय	1500	1500	60
		मानिक आंशिक	1500	1200	50
10	हले प्रथम	हले प्रथम	2000	1200	50
11	हले तृतीय	हले तृतीय	2000	1500	60
		मानिक	1500	1200	50
12	हले द्वितीय	हले द्वितीय	2000	1500	60

*Handwritten signature*

**मुख्याधिकारी**  
नगर पंचायत

मुख्याधिकारी  
खरेला

सहायक अधिकाधिकारी  
नगर पंचायत

अधीक्षक  
नगर पंचायत

नगर पंचायत  
खरेला

नगर पंचायत  
खरेला

14

(घ) नगर पंचायत खरेला की सीमा से बाहर स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, पक्की सड़क/झामर/खडजा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरें-

विकी क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/झामर/खडजा	चक मार्ग/अन्य	
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित
0.101 हे० तक	4400000.00 प्रति हे०	3600000.00 प्रति हे०	2500000.00 प्रति हे०	2000000.00 प्रति हे०	1500000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	22000000.00 प्रति हे०	16500000.00 प्रति हे०	15000000.00 प्रति हे०	8000000.00 प्रति हे०	6000000.00 प्रति हे०

(ड) नगर पंचायत खरेला की सीमा के बाहर स्थित विभिन्न सिगमेंट प्रथम/आवासीय भूमि की दरें मुख्य सड़क से 40 मीटर के दोनों ओर

क्र.सं.	विशिष्ट सिगमेंट / सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी. में)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी०)
1	नगर पंचायत खरेला सीमा के बाहर की वह भूमि जो पक्की सड़क से लगी है।	3000.00	60.00

(च) नगर पंचायत खरेला के बाहर स्थित आकृषिक/आवासीय भूमि की दरें

क्र०	गार्ड का नाम	गार्ड में सम्मिलित मुहल्लों का नाम	सिगमेंट द्वितीय		सिगमेंट तृतीय	
			सिगमेंट प्रथम के पश्चात 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	सिगमेंट द्वितीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	सिगमेंट तृतीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी.)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी०)
1	खरेला	खरेला	1500	1200	50	

नगर पंचायत खरेला  
सहायक महाजनरीयक निबन्धक  
नगर पंचायत खरेला

(15)

### 3- अर्ध नगरीय क्षेत्र

1- अर्धनगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम में स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीयराजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग, पक्की सड़क/झार/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरें-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/झार/खड़जा	चक मार्ग/अन्य	
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित
0.101 हे० तक	1650000.00 प्रति हे०	1320000.00 प्रति हे०	1200000.00 प्रति हे०	1100000.00 प्रति हे०	1000000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	1320000.00 प्रति हे०	1100000.00 प्रति हे०	1000000.00 प्रति हे०	650000.00 प्रति हे०	550000.00 प्रति हे०

### द्व-अर्धनगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की विशिष्ट सभिमेट की दरें सभिमेट प्रथम अर्धनगरीय क्षेत्र

क्र०सं०	विशिष्ट सभिमेटस/सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी० में)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी० में)
1	अर्धनगरीय में शामिल सभी ग्राम मध्य सड़क से 30 मीटर सड़क के दोनों ओर	1500.00	40.00

मुख्य अधिकारी  
मुख्य सहायक अधिकारी  
सहायक महानगरपालिका क्षेत्र विकास अधिकारी  
मुख्य सहायक अधिकारी  
मुख्य सहायक अधिकारी



16

ग- अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की आवासीय/अकृषक भूमि की दरें

अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दरें (विशिष्ट सिमेंट्स/सड़क के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिमेंट द्वितीय		सिमेंट तृतीय		वाणिज्य भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग मी०)
		सिमेंट प्रथम के पर्याय 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिमेंट द्वितीय के पर्याय की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिमेंट तृतीय के पर्याय की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिमेंट तृतीय के पर्याय की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	
1	अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल सभी ग्राम	800.00	500.00	500.00	30.00	

(क) 4- ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कृषि भूमि की दरें-

ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी "क" के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग, पक्की सड़क/डामर/खड़जा चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरें-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चक मार्ग/अन्य		
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित
0.101 हे० तक	1650000.00 प्रति हे०	1320000.00 प्रति हे०	1200000.00 प्रति हे०	1100000.00 प्रति हे०	1000000.00 प्रति हे०	550000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	1320000.00 प्रति हे०	1100000.00 प्रति हे०	1000000.00 प्रति हे०	650000.00 प्रति हे०	1000000.00 प्रति हे०	550000.00 प्रति हे०

उप जिलाधिकारी  
खुदशाही

सहायक अधीक्षक जलसंधारण  
महोबा

पर जलसंधारण  
वि/राजस

महोबा


(12)


ख- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (क) के अन्तर्गत शामिल राजस्व ग्रामों की विशिष्ट सिगमेंट की दरें-  
सिगमेंट प्रथम ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'क'


क्र.सं०	विशिष्ट सिगमेंट/सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी० में)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी० में)
1	ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'क' में शामिल सभी ग्राम मध्य सड़क से 30 मीटर सड़क के दोनों ओर	1500.00	40.00


ग- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (क) के अन्तर्गत शामिल राजस्व ग्रामों की आवासीय/अकृषक भूमि की दरें-  
श्रेणी 'क' में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दरें (विशिष्ट सिगमेंट/सड़क के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिगमेंट द्वितीय		सिगमेंट तृतीय	
		सिगमेंट प्रथम के पर्याप्त 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिगमेंट द्वितीय के पर्याप्त की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिगमेंट तृतीय के पर्याप्त की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन के लिए निर्धारित मासिक किराए की दर (प्रति वर्ग मी०)
1	ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'क' में शामिल सभी ग्राम	600.00	500.00	30.00	

  
उप जिलाधिकारी  
कटियासी

  
सहायक जिलाधिकारी  
महोबा

  
अपर जिलाधिकारी  
वित्त/राजस्व  
महोबा

  
जिलाधिकारी  
महोबा

5- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी क्षेत्र (ख)

क- ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीयमार्ग/प्रान्तीय मार्ग जनपदीय राजमार्ग पक्की सड़क / डमर / खड़जा चकमार्ग/ अन्य पर स्थित है की निर्धारित दरे-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग / पक्की / कच्ची सड़क / डमर / खड़जा	चक मार्ग / अन्य	
				चकमार्ग / अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग / जनपदीय मार्ग / लिक मार्ग से 200 मी0 तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग / अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी0 के बाद स्थित
0.101 हे0 तक	150000.00 प्रति हे0	1200000.00 प्रति हे0	1100000.00 प्रति हे0	1000000.00 प्रति हे0	9000000.00 प्रति हे0
0.101 हे0 से अधिक की स्थिति में	1200000.00 प्रति हे0	9000000.00 प्रति हे0	1000000.00 प्रति हे0	6000000.00 प्रति हे0	5000000.00 प्रति हे0

(ख) ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (ख) के अन्तर्गत राज्य ग्रामो की विशिष्ट सिमेन्ट की दरे।

उप निष्ठाधिकारी  
सख्तवारी

नगरपालक महाकिसानिक निलम्बन  
म. नारा

पर निष्ठाधिकारी  
निस/राजस्व  
नैन निसा निम्बन  
न. नारा


19

सिगमेंट प्रथम  
ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी ख.

क्र० सं०	विशिष्ट सिगमेंटस / सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर प्रति वर्ग मी० में	गाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग मी० में)
1	उपरोक्त सभी वो ग्राम जो ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी ख में शामिल है जो अन्य ग्रामों को प्रमुख सड़क (डामरीकृत रोड जो ग्राम से अन्य ग्राम या मुख्य सड़क से जोड़ता है) मध्य सड़क से 30 मीटर तक सड़क के दोनों ओर	1000.00	35.00


ग- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (ख) के अन्तर्गत शामिल राजस्व ग्रामों की आवासीय/अकृषक भूमि की दरें श्रेणी 'ख' में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दरें (विशिष्ट सिगमेंटस/सड़क के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिगमेंट द्वितीय		गाणिज्य भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग मी०)
		सिगमेंट प्रथम के पश्चात 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिगमेंट तृतीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	
1	ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'ख' में शामिल सभी ग्राम	550.00	450.00	30.00

  
District Collector  
Rajasthan

सहायक महाकौशलिक जिल्लाधिकारी  
महोदय

पर जिल्लाधिकारी  
विल/राजस्व  
देन जिल्ला निवन्धक  
महोदय

  
Assistant District Collector

(2)

6- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी ग-

(क) ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 'ग' के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग, पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरें-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चक मार्ग/अन्य	
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित
0.101 हे० तक	1400000.00 प्रति हे०	1100000.00 प्रति हे०	9000000.00 प्रति हे०	8000000.00 प्रति हे०	90000000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	11000000.00 प्रति हे०	8000000.00 प्रति हे०	7500000.00 प्रति हे०	5500000.00 प्रति हे०	4500000.00 प्रति हे०

द्वय- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (ग) के अन्तर्गत शामिल सिगमेंट दरें  
ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'ग' (प्रथम सिगमेंट)

क्र० सं०	विशेष सिगमेंटस/सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर प्रति वर्ग मी० में	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराय की दर (प्रति वर्ग मी० में)
1	उपरोक्त सभी वो ग्राम जो ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी ख में शामिल है जो अन्य ग्रामों को प्रमुख सड़क (डामरीकृत रोड जो ग्राम से अन्य ग्राम या मुख्य सड़क से जोड़ता हो मध्य सड़क से 30 मीटर तक सड़क के दोनों ओर	900.00	35.00

मुख्य जिलाधिकारी  
मुख्य जिलाधिकारी

सहायक महाजिलाधिकारी  
सहायक महाजिलाधिकारी

पर निष्पत्ति  
पर निष्पत्ति

निष्पत्ति  
निष्पत्ति


ग- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (ग) के अन्तर्गत शामिल राजस्व ग्रामों की आवासीय/अकृषक भूमि की दरे श्रेणी 'ग' में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरे एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दरे (विशिष्ट सिगमेंट्स/सड़क के लिए निर्धारित दरे को छोड़कर)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिमेंट द्वितीय		सिमेंट तृतीय	वाणिज्य भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग मी०)
		सिमेंट प्रथम के पर्याप्त 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिमेंट द्वितीय के पर्याप्त की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)		
1	ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'ग' में शामिल सभी ग्राम	500.00	400.00	30.00	

(क) ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 'घ' के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग, पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरे-

7- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी घ-

विक्री क्षेत्र की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चक मार्ग/अन्य		
				चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/लिक मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित	चकमार्ग/अन्य पर स्थित किन्तु किसी भी सड़क से 200 मी० के बाद स्थित
0.101 हे० तक	1300000.00 प्रति हे०	1000000.00 प्रति हे०	850000.00 प्रति हे०	750000.00 प्रति हे०	700000.00 प्रति हे०	400000.00 प्रति हे०
0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	1000000.00 प्रति हे०	700000.00 प्रति हे०	700000.00 प्रति हे०	500000.00 प्रति हे०	400000.00 प्रति हे०	

  
जिलाधिकारी  
राजसम

सहायक महाशिक्षक निबन्धक  
अहोबा

रपर किल्लाधिकार  
विन/राजस्व  
रदेन जिला निबन्धक  
सहीबा  
सहीबा

ख- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (घ) के अन्तर्गत शामिल सिगमेंट दरें  
ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी 'घ' (प्रथम सिगमेंट)

क्र० सं०	विशिष्ट सिगमेंटस / सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दर प्रति वर्ग मी० में	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर: (प्रति वर्ग मी० में)
1	उपरोक्त सभी वो ग्राम जो ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी घ में शामिल है जो अन्य ग्रामों को प्रमुख सड़क (डामरीकृत रोड जो ग्राम से अन्य ग्राम या मुख्य सड़क से जोड़ता हो मध्य सड़क से 30 मीटर तक सड़क के दोनों ओर	900.00	35.00

ग- ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (घ) के अन्तर्गत शामिल राजस्व ग्रामों की आवासीय/अकृषक भूमि की दरें श्रेणी 'घ' में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दरें (विशिष्ट सिगमेंटस/सड़क के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिगमेंट द्वितीय		सिगमेंट तृतीय	वाणिज्य भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग मी०)
		सिगमेंट प्रथम के पश्चात 40 मीटर तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिगमेंट द्वितीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	सिगमेंट तृतीय के पश्चात की निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)	
1	ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी घ में शामिल सभी ग्राम	500.00	400.00		30.00

2018  
ग्राम विकास अधिकारी  
बदखाना  
सहायक महासंचालक निवर्तमान  
सहायक  
ग्राम निवासीय/अकृषक भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दरें (प्रति वर्ग मी० में)  
सहायक  
सहायक

**निर्माण दरें (संशोधित)**

द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची दिनांक 10.7.12 की निधारित निर्माण दरों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है  
 आवासीय भवनों के निर्माण मूल्य के लिए निधारित दरें निम्न प्रकार हैं-

- आर०सी०सी०/आर०बी०सी०/पर्यटन पट्टिया की छत का निर्माण दरें कमशः 8000/7000/6000 प्रति वर्ग मीटर,  
 टीनशेड/एस्बेस की छत का निर्माण दर 4000 रूपया प्रति वर्ग मीटर, खपरैल, धन्नी छान छप्पर का निर्माण दर 3000 रूपया प्रति वर्ग मीटर।
- 1- यदि कोई आवासीय भवन निर्माण तिथि से 20 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, जो उस पर ह्रास मूल्य-अनुमन्य होगा तथा भवन के ह्रास मूल्य आगणन हेतु सूत्र निम्न प्रकार है-
- निर्माण का कुल मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल X निधारित दर  
 मूल्य ह्रास = निर्माण का मूल्य X भवन की वास्तविक आयु X 9

भवन की कुल आयु X 10

स्टाम्प देयता हेतु निर्माण का मूल्य = निर्माण का मूल्य - मूल्य ह्रास

- भवन की कुल आयु वर्गीकरण के आधार पर आंकी गयी है।
- 1- आर०सी०सी० छत की निर्माण का भवन की कुल आयु 80 वर्ष
  - 2- आर०बी०सी० छत की निर्माण का भवन की कुल आयु 60 वर्ष
  - 3- टीन शैड एजवेस्टस दर धन्नी निर्माण की कुल आयु 50 वर्ष
- निर्माण के स्कैप मूल्य निर्माण के कुल मूल्य के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। मूल्य ह्रास के लिए विक्रेता को से नोटरी शपथ पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

*M. S. Jaiswal*  
 जयपुर जिलाधिकारी  
 जयपुर (राजस्थान)

*S. S. Jaiswal*  
 सहायक भूधरणी अधिकारी  
 जयपुर

*S. S. Jaiswal*  
 जयपुर जिलाधिकारी  
 जयपुर

*S. S. Jaiswal*  
 जयपुर जिलाधिकारी  
 जयपुर



**आवश्यक निर्देश**

1. यदि लेखपत्र में ऐसी भूमि का अन्तर्ण होता है जहाँ कोई मुहल्ला कायम नहीं है तो सबसे नजदीक मोहल्ले का नाम लेखपत्र में लिखा जायेगा और उस भूमि का मूल्यांकन उस मुहल्ले के लिए निर्धारित दर से आंगणित होगा।
2. रेट लिस्ट में प्रदर्शित मासिक किराये की दर भूमि तल (ग्राउन्ड फ्लोर) के लिए निर्धारित है। यदि वाणिज्यिक भवन प्रथम तल/द्वितीय तल या बेसमेण्ट में स्थित है तो उक्त किराये की दर में 25 प्रतिशत की कमी कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. (I) यदि प्लाट/मकान/वाणिज्यिक भवन दो रास्तों पर स्थित है तो उस सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
- (II) विशिष्ट सिम्पेण्टस/सिम्पेण्टस प्रथम में स्थित सम्पत्ति को छोड़कर शेष क्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति (प्लाट एवं आवासीय मकान) की चौहददी में कोई वाणिज्यिक भवन/बसस्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/कारखाने/शैक्षिक संस्थाओं/अस्पतालों/सरकारी कार्यालयों/आदि स्थित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
- (III) उपरोक्त (I) व (II) दोनों स्थितियाँ विद्यमान होने की दशा में सम्पत्ति के मूल्यांकन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
4. यदि कोई सम्पत्ति दो मार्गों पर स्थित है तो उच्चतर दर मान्य होगी।
5. प्रत्येक अन्तर्ण विलेख में पक्षकारों द्वारा सम्पत्ति का नजरी नक्शा संलग्न किया जायेगा तथा बाजारी मूल्य को प्रभावित करने वाले सम्पत्त तथ्यों का आंकन सत्यतापूर्वक एवं सम्पूर्णता पूर्वक किया जाना अनिवार्य है। सिग्नेन्ट पर स्थित सम्पत्ति पर उस सिग्नेन्ट के निर्धारित दर के अनुसार ही मूल्यांकन किया जायेगा।
6. ईट भट्टों के सम्बन्ध में बैनामा मिट्टी मानते हुये मिट्टी का मूल्य 15/- रु0 प्रति घनफिट होगा।
7. नगरीय क्षेत्र के कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक बैनामों में पोस्टकार्ड साइज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. प्लान्ट एवं मशीनरी का मूल्यांकन "जिला उद्योग केन्द्र" द्वारा किया जायेगा।
9. लेखपत्र में कृषि भूमि से इतर विक्रीत सम्पत्ति के मोहल्ले का नाम एवं उसकी चौहददी में स्थित सड़क का नाम (कहाँ से कहाँ तक) उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।

उप निबन्धक,  
वरखारी

तहसीलदार,

उपजिलाधिकारी,  
वरखारी

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
सहायक महानिरीक्षक जिलबन्धन

अपर निरीक्षक (शैक्षिक) (10/रा0),  
वरखारी

जिलाधिकारी,  
महोबा

उप जिलाधिकारी,  
वरखारी

उप जिलाधिकारी,  
महोबा

वरखारी  
महोबा

1. उपरोक्त दरें 10 तक या उच्चतम धारण वृत्तों के लिए लागू होंगी।  
 2. धारण वृत्तों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होंगी।  
 3. अध्याय वृत्तों के लिए दरें उपरोक्त दरों की 50 प्रतिशत होंगी।  
 4. उपरोक्त काम सी-1, 2, 3 केवल गौरीगंज अध्याय वृत्तों के लिए लागू होंगी। अन्य कक्षा की दरें न होंगी।

क्र०	वृत्त का नाम	धारण वर्ग (वर्ग मी० में)						कुल
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
1	धारण वर्ग वृत्त	36.00	92.00	406.00	1478.00	4399.00	7318.00	10256.00
2	धारण वर्ग वृत्त	18.00	92.00	406.00	1219.00	2939.00	4399.00	7318.00
3	धारण वर्ग वृत्त (कर्म)	18.00	56.00	314.00	721.00	2328.00	2939.00	4435.00
4	धारण वर्ग वृत्त (धर्म)	18.00	56.00	92.00	185.00	462.00	776.00	1219.00
5	धारण वर्ग वृत्त	18.00	92.00	370.00	1478.00	2199.00	3660.00	4269.00
6	धारण वर्ग वृत्त	18.00	56.00	92.00	462.00	906.00	1478.00	1830.00
7	क-वृ (वर्ग मी०)	18.00	56.00	148.00	482.00	906.00	1275.00	1719.00
8	धारण वर्ग वृत्त	18.00	36.00	148.00	277.00	518.00	776.00	1016.00
9	धारण वर्ग वृत्त (धर्म)	18.00	36.00	92.00	462.00	906.00	1350.00	1719.00
10	धारण वर्ग वृत्त	18.00	36.00	92.00	148.00	314.00	610.00	906.00
11	धारण वर्ग वृत्त	10.00	18.00	56.00	111.00	185.00	295.00	406.00
12	धारण वर्ग वृत्त	406.00	1219.00	406.00	1219.00	1219.00	1219.00	1219.00
13	धारण वर्ग वृत्त	406.00	1219.00	406.00	1219.00	1219.00	1219.00	1219.00
14	धारण वर्ग वृत्त	1219.00	406.00	1219.00	406.00	1219.00	406.00	1219.00
15	धारण वर्ग वृत्त	406.00	1219.00	406.00	1219.00	1219.00	1219.00	1219.00

विकल्पधाम वृत्त, उ०ग०, बाँदा के लिए वृत्तों के मूल्य दर अनुसूची  
 दिनांक 04.05.2012 से प्रभावी

### कृषि भूमि के मूल्यांकन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. नगर पालिका सीमा व टाउन एरिया की सीमा के अन्दर/बाहर स्थित होने का प्रमाणपत्र सड़क व आबादी से दूरी, सड़क का नाम एवं उसका प्रकार तथा कृषि भूमि की श्रेणी, सम्बन्धित खसरा नम्बर अधिग्रहण में है अथवा नहीं का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा तथा जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही हो उनके प्रमाणपत्र चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
2. यदि एक लेखपत्र में एक से अधिक गाटा संख्याओं में स्थित भूमि का अन्तर्ण होता है तो मूल्यांकन हेतु प्रत्येक गाटा संख्या में स्थित रकबे को अलग-2 मानते हुए अवस्थित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
3. यदि विकीत कृषि भूमि बाजार/बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/कारखानों/शैक्षिक संस्थाओं/अस्मतालों/सरकारी कार्यालयों एवं आबादी से 100 मीटर तक परिधि में स्थित है तो उस कृषि भूमि के निर्धारित दर में 35% तथा 100 मीटर के बाद एवं 200 मीटर तक की परिधि में कृषि भूमि स्थित है तो निर्धारित दर में 25% की वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा।
4. यदि किसी विकीत भूमि में पक्का कुर्वा है तो कुर्वा की मालियत 80,000/- रु0 आंकी जायेगी तथा टयूब वेल की मालियत 2,20,000/- रु0 आंकी जायेगी।
5. कृषि भूमि के बैनामों में विकीत भूमि की 200 मी0 की परिधि में स्थित परिसम्पत्तियों का नजरी नक्शा प्रत्येक लेखपत्र साथ संलग्न किया जायेगा।
6. नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि के विक्रय पर भूमि का फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
7. जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही है, के अन्तर्गत एक से अधिक गाटा संख्याओं के विक्रय की स्थिति में यदि वह एक दूसरे से मिले हुये हों और उनसे एक चक बन रहा हो तो उन्हें एक गाटा मानते हुये मूल्यांकन किया जायेगा।
8. जनपद महोबा की सड़क किनारे (दीनों ओर) स्थित खसरा नम्बरानों तथा आबादी से 200 मी0 त्रिज्या के अन्दर स्थित खसरा नम्बरानों की सूची संलग्न है।
9. प्रान्तीय मार्ग से आशय उस मार्ग से है जो कम से कम दो या अधिक जनपदों से गुजरता है तथा जनपदीय मार्ग का आशय है जो सिर्फ तहसील को जनपद से जोड़ता है।
10. सड़क पर स्थित गाटे का तात्पर्य सम्पूर्ण गाटे से हैं।
11. मुख्य सड़क से गाँव को जोड़ने वाली सड़क या गाँव को गाँव से जोड़ने वाली सड़क को चाहे वह कच्ची हो या पक्की का लिक मार्ग माना जायेगा।
12. सड़क से 200 मी0 तक के अन्दर की दूरी सड़क से सटे गाटा संख्या को छोड़कर लागू होगी। सड़क से सटे गाटा नम्बर पर सड़क की ही निर्धारित दूरी लागू होगी।
- 13.

Handwritten mark/initials at the top left of the page.

सहायक महानिरीक्षक निवृत्त  
महोबा



महोबा  
विन/रा/प्रख

Handwritten signature and date at the bottom left.